



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सोमवार, 15 सितंबर 2023 | अंक 35 | वर्ष 2023 | शंख्या 35 | इडेक्स 24875

E-15092023-24875 CG-INDEXXX

तुल्फ़ / कैकेज़, के

असाधारण

हक्कक्क II — [किमी 1

भाग II — खंड 1 izkf/kdkj ls

izdkf'kr

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

[पृष्ठ 35] ubZ fnYyh] 'kq0okj] flrEcj 15] 2023@Hkkznin 24] 1945 ¼'kd½
संख्या 35] नई दिल्ली, शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023/24 भाद्रपद, 1945 (शक)

इस भाग को अलग पृष्ठांकन दिया गया है ताकि इसे अलग संकलन के रूप में दाखिल किया जा सके।

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितंबर, 2023/24 भाद्रपद, 1945 (शक)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम को शास्त्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई

14 सितंबर, 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार सामान्य जानकारी हेतु एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

मध्यस्थता अधिनियम, 2023

2023 का संख्या 32

[14 सितंबर, 2023.]

विवादों, चाहे वे कमर्शियल हों या दूसरे, को सुलझाने के लिए मीडिएशन, खासकर इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन को बढ़ावा देने और आसान बनाने, मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट को लागू करने, मीडिएटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक बॉडी बनाने, कम्युनिटी मीडिएशन को बढ़ावा देने और ऑनलाइन मीडिएशन को एक्सेप्टेबल और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस बनाने और उससे जुड़े या उससे जुड़े मामलों के लिए एक एकट।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यस्थता अधिनियम, 2023 है।

छोटा नाम, विस्तार और शुरूआत।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में होगा।

(3) यह उस तारीख को लागू होगा जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों तथा किसी अन्य उपबंध के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ का संदर्भ उस उपबंध के लागू होने का संदर्भ समझा जाएगा।

अध्याय II

आवेदन

आवेदन पत्र।

2. यह अधिनियम वहां लागू होगा जहां मध्यस्थता भारत में की जाती है, और—

(i) सभी या दोनों पार्टी आमतौर पर भारत में रहते हैं, भारत में शामिल हैं या उनका बिज़नेस यहीं है; या

(ii) मीडिएशन एग्रीमेंट में यह प्रोविज़न है कि किसी भी विवाद को इस एक्ट के प्रोविज़न के अनुसार सुलझाया जाएगा;
या

(iii) कोई इंटरनेशनल मीडिएशन है; या

(iv) जिसमें विवाद का एक पक्ष केंद्र सरकार या राज्य सरकार है

सरकार या एजेंसियां, पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन और लोकल बॉडी, जिसमें ऐसी सरकार के कंट्रोल वाली या उसके मालिकाना हक वाली एंटीटी शामिल हैं और जहां मामला किसी कमर्शियल झगड़े से जुड़ा हो; या

(v) किसी भी अन्य प्रकार के विवाद को, यदि उचित समझा जाए और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-
समय पर इस अधिनियम के तहत मध्यस्थता के माध्यम से समाधान के लिए अधिसूचित किया जाए, जिसमें ऐसी सरकारें, या
एजेंसियां, सार्वजनिक निकाय, निगम और स्थानीय निकाय जिनमें उनके द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व वाली संस्थाएं शामिल हैं, एक
पक्ष है।

परिभाषाएँ.

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''वाणिज्यिक विवाद'' से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में
परिभाषित विवाद अभिप्रेत है;

2016 का 4.

(ख) ''सामुदायिक मध्यस्थ'' से तात्पर्य है, सामुदायिक कार्यवाही के संचालन के प्रयोजनों के लिए मध्यस्थ
अध्याय X के तहत सामुदायिक मध्यस्थता;

(ग) ''परिषद'' का तात्पर्य धारा 31 के अधीन स्थापित भारतीय मध्यस्थता परिषद से है;

(घ) ''न्यायालय'' से तात्पर्य भारत में स्थित उस सक्षम न्यायालय से है जिसके पास आर्थिक तथा क्षेत्रीय अधिकारिता है
तथा जिसके पास मध्यस्थता का विषय बनने वाले विवादों पर निर्णय करने का अधिकारिता है, यदि वह किसी वाद या कार्यवाही
का विषय रहा हो;

(इ) ''न्यायालय-संलग्न मध्यस्थता'' से तात्पर्य मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता सहित मध्यस्थता से है
किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा स्थापित मध्यस्थता केंद्रों पर आयोजित;

(च) ''संस्थागत मध्यस्थता'' का तात्पर्य मध्यस्थता सेवा प्रदाता के तत्वावधान में संचालित मध्यस्थता से है;

(छ) ''अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता'' से इस अधिनियम के अधीन की गई मध्यस्थता अभिप्रेत है और यह भारत में तत्समय
प्रवृत्त किसी कानून के अधीन किसी संविदात्मक या अन्यथा विधिक संबंध से उत्पन्न वाणिज्यिक विवाद से संबंधित है और जहां
पक्षकारों में से कम से कम एक,—

(i) ऐसा व्यक्ति जो भारत के अलावा किसी दूसरे देश का नागरिक हो, या वहां हमेशा रहता हो; या

(ii) कोई कॉर्पोरेट बॉडी जिसमें किसी भी तरह की लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शामिल है, जिसका
बिज़नेस भारत के बाहर हो; या

(iii) व्यक्तियों का संघ या निकाय जिसका व्यवसाय स्थान है
भारत के बाहर; या

(iv) किसी विदेशी देश की सरकार;

(ज) "मध्यस्थता" में एक प्रक्रिया शामिल है, चाहे उसे मध्यस्थता, मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता, सुलह या इसी तरह के आयात की अभिव्यक्ति द्वारा संदर्भित किया गया हो, जिसके तहत पक्ष मध्यस्थ के रूप में संदर्भित तीसरे व्यक्ति की सहायता से अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान करने का प्रयास करते हैं, जिसके पास विवाद के पक्षों पर समझौता घोषने का अधिकार नहीं है;

(i) "मध्यस्थ" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे पार्टीयों या मध्यस्थता सेवा प्रदाता द्वारा मध्यस्थता करने के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है और इसमें परिषद के साथ मध्यस्थ के रूप में पंजीकृत व्यक्ति शामिल है।

स्पष्टीकरण.—जहाँ मध्यस्थता के लिए एक से अधिक मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं, इस अधिनियम के अधीन किसी मध्यस्थ का संदर्भ सभी मध्यस्थों के लिए संदर्भ होगा;

(ज) "'मध्यस्थता समझौता'" से धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौता अभिप्रेत है;

(ट) "मध्यस्थता संचार" से तात्पर्य है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा, निम्नलिखित के माध्यम से किया गया संचार,-

(i) कहीं या की गई कोई बात;

(ii) कोई दस्तावेज; या

(iii) प्रदान की गई कोई भी सूचना,

मध्यस्थता के प्रयोजनों के लिए, या उसके संबंध में, या उसके दौरान, और इसमें मध्यस्थता समझौता या मध्यस्थता द्वारा समझौता समझौता शामिल है;

(ठ) "मध्यस्थता संस्थान" से तात्पर्य ऐसे निकाय या संगठन से है जो मध्यस्थों को प्रशिक्षण, सतत शिक्षा तथा प्रमाणन प्रदान करता है तथा इस अधिनियम के अधीन ऐसे अन्य कार्य करता है;

(एम) "मध्यस्थता सेवा प्रदाता" से तात्पर्य निम्नांकित मध्यस्थता सेवा प्रदाता से है, धारा 40 की उपधारा (1) में;

(ट) "मध्यस्थता समझौता" से तात्पर्य मध्यस्थता समझौता से है धारा 19 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट;

(ओ) "'सदस्य'" का तात्पर्य परिषद के पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य से है और इसमें शामिल हैं अध्यक्ष;

(त) "अधिसूचना" से तात्पर्य आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है और "'अधिसूचित'" शब्द का उसके समानार्थी अर्थों तथा व्याकरणिक रूपांतरों के साथ तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(थ) "'ऑनलाइन मध्यस्थता'" से धारा 30 में निर्दिष्ट ऑनलाइन मध्यस्थता अभिप्रेत है;

(आर) "प्रतिभागीयों" का अर्थ मध्यस्थता में भाग लेने वाले पक्षकारों के अलावा अन्य व्यक्ति हैं और इसमें सलाहकार, अधिवक्ता, परामर्शदाता और कोई भी तकनीकी विशेषज्ञ और पर्यवेक्षक शामिल हैं;

(एस) "पक्ष" का तात्पर्य मध्यस्थता समझौते या मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल उस पक्ष से है जिसकी सहमति या सहमति विवाद को हल करने के लिए आवश्यक है और इसमें उनका शामिल है उत्तराधिकारी;

(न) "व्यापार का स्थान" में सम्मिलित है-

(a) वह जगह जहाँ से आम तौर पर बिज़नेस किया जाता है, और इसमें वेयरहाउस, गोदाम या कोई दूसरी जगह शामिल है जहाँ कोई पार्टी अपना सामान स्टोर करती है, सामान या सर्विस या दोनों सप्लाई करती है या लेती है; या

(b) वह जगह जहाँ कोई पार्टी अपनी अकाउंट बुक्स रखती है; या

(ग) ऐसा स्थान जहाँ कोई पक्षकार किसी एजेंट के माध्यम से, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, कारोबार में लगा हुआ है;

(प) "मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता" का अर्थ धारा 5 के उपधारा (2) के अधीन न्यायालय या अधिसूचित न्यायाधिकरण के समक्ष, उससे संबंधित सिविल या वाणिज्यिक प्रकृति का बाद या कार्यवाही दायर करने से पहले विवादों के निपटारे के लिए धारा 5 के तहत प्रदान की गई मध्यस्थता करने की प्रक्रिया है;

(व) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित है;

(ब) 'अनुसूची' से इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(x) ऑनलाइन मध्यस्थता के संदर्भ में "सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर" का अर्थ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1963 की धारा 15 में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हैं।

अधिनियम, 2000; और

2000 का 21.

(म) "विनिर्दिष्ट" का तात्पर्य इस अधिनियम के अन्तर्गत परिषद द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट है।

अध्याय III

मध्यस्थता

मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में पक्षों द्वारा या उनके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति के बीच, पक्षों के बीच उत्पन्न हुए या उत्पन्न होने वाले सभी या कुछ विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए होगा।

(2) मध्यस्थता समझौता किसी अनुबंध में मध्यस्थता खंड के रूप में या किसी अन्य रूप में हो सकता है। एक अलग एग्रीमेंट का फॉर्म।

(3) मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है, यदि वह निम्नलिखित में निहित या दर्ज है-

(क) पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित कोई दस्तावेज़;

(ख) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचार या पत्रों का आदान-प्रदान

जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है;

2000 का 21.

(ग) किसी बाद या किसी अन्य कार्यवाही में कोई दलील जिसमें मीडिएशन एग्रीमेंट का आरोप एक पार्टी लगाती है और दूसरी पार्टी इनकार नहीं करती।

(4) किसी ऐसे करार में मध्यस्थता खंड वाला संदर्भ मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि करार लिखित में हो और संदर्भ ऐसा हो कि मध्यस्थता खंड करार का भाग बन जाए।

(5) पक्षकार किसी समझौते के अन्तर्गत उनके बीच उत्पन्न होने वाले किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो सकते हैं, चाहे वह विवाद उत्पन्न होने से पहले किया गया हो या उसके बाद किया गया हो।

(6) अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के मामले में मध्यस्थता समझौता एक समझौते का संदर्भ देगा धारा 3 के खंड (क) में निर्दिष्ट वाणिज्यिक विवादों के मामलों में सामाधान के लिए।

मुकदमे से पहले मध्यस्थता।
(5.) (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहने हुए, चाहे कोई मध्यस्थता समझौता हो अथवा न हो, पक्षकार किसी भी न्यायालय में सिविल या वाणिज्यिक प्रकृति का कोई बाद या कार्यवाही दायर करने से पूर्व स्वेच्छा से तथा आपसी सहमति से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता द्वारा विवादों को निपटाने के लिए कदम उठा सकते हैं:

बशर्ते कि निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के मामलों में मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12ए और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

2016 का 4.

(2) उप-धारा (1) के प्रावधान केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यायाधिकरणों पर लागू होंगे, जैसा भी मामला हो।

(3) उपधारा (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, मध्यस्थ,—

(i) काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड हो; या

(ii) कोर्ट से जुड़े मीडिएशन सेंटर के पैनल में शामिल; या

(iii) विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत गठित प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध

1987 का 39.

अधिनियम, 1987; या

(iv) इस अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त मध्यस्थता सेवा प्रदाता द्वारा पैनलबद्ध,

मुकदमे से पहले मध्यस्थता का संचालन करेगा।

(4) उपधारा (3) के खंड (ii) तथा (iii) के अधीन मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता संचालित करने के लिए पक्षकार उच्च न्यायालयों द्वारा या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित प्राधिकरण द्वारा, जैसा भी मामला हो, इस प्रयोजन के लिए नामित किसी व्यक्ति से अनुरोध कर सकता है।

1987 का 39.

(5) न्यायालय से संबद्ध मध्यस्थता केन्द्र और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत गठित प्राधिकरण मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता के प्रयोजनों के लिए मध्यस्थों का एक पैनल बनाए रखेंगे।

1988 का 59.

(6) उपधारा (1) और (2) तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में निहित किसी बात के होते हुए भी, जब किसी दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे के लिए कोई आवेदन दावा न्यायाधिकरण के समक्ष किया जाता है और उस अधिनियम की धारा 149 के अनुसार पक्षकारों के बीच समझौता नहीं हो पाता है, तो दावा न्यायाधिकरण पक्षों को इस अधिनियम के तहत मध्यस्थता के लिए मध्यस्थ या मध्यस्थता सेवा प्रदाता के पास भेजेगा।

(7) जहाँ पक्षकार उपधारा (6) के अन्तर्गत समझौता समझौते पर पहुंचते हैं तो उसे विचारार्थ दावा न्यायाधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।

(8) यदि पक्षकार उप-धारा (6) के अधीन समझौता समझौते पर नहीं पहुंचते हैं, तो मध्यस्थ द्वारा तैयार की गई गैर-समझौता रिपोर्ट दावा न्यायाधिकरण को, जिसने मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया है, न्यायनिर्णयन के लिए भेजी जाएगी।

6. (1) इस अधिनियम के अंतर्गत कोई मध्यस्थता प्रथम अनुसूची के अंतर्गत सांकेतिक सूची में अंतर्विष्ट किसी विवाद या मामले के समाधान के लिए नहीं की जाएगी:

झगड़े या मामले जो मीडिएशन के लायक नहीं हैं।

बशर्ते कि इसमें समाहित कोई भी बात किसी न्यायालय को, यदि उचित समझे तो, समझौता योग्य अपराधों सहित वैवाहिक अपराधों से संबंधित किसी विवाद को, जो समझौता योग्य हैं और पक्षों के बीच लंबित हैं, मध्यस्थता के लिए भेजने से नहीं रोकेगी:

आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसी मध्यस्थता का परिणाम

धारा 27 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट न्यायालय के निर्णय या डिक्री पर विचार किया जाएगा और न्यायालय द्वारा उस समय प्रवृत्त कानून के अनुसार उस पर आगे विचार किया जाएगा।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार का मानना हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह

अधिसूचना द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन कर सकता है।

कोई या दिव्यनल की पार्टीओं को मीडिएशन के लिए भेजने की शक्ति।

7. (1) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन विवाद का निपटारा न होने पर भी, न्यायालय या न्यायाधिकरण कार्यवाही के किसी भी चरण में पक्षकारों को मध्यस्थता करने के लिए संदर्भित कर सकता है।

(2) यदि न्यायालय या न्यायाधिकरण पक्षकारों को मध्यस्थता करने के लिए संदर्भित करता है तो वह उचित समझे जाने पर किसी पक्षकार के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त अंतरिम आदेश पारित कर सकता है।

(3) पक्ष मध्यस्थता में समझौता करने के लिए बाध्य नहीं होंगे उपधारा (1) के अधीन संदर्भ के अनुसार।

अध्याय IV

मध्यस्थी

8. (1) जब तक पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, किसी भी राष्ट्रीयता के व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है:

विचालियों की नियुक्ति।

बशर्ते कि किसी भी विदेशी राष्ट्रीयता के मध्यस्थ के पास ऐसी योग्यता, अनुभव और मान्यता होनी चाहिए, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) पक्षकार मध्यस्थ के नाम तथा उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(3) यदि पक्षकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट मामले पर किसी समझौते पर नहीं पहुंचते हैं तो मध्यस्थता आरंभ करने की मांग करने वाला पक्षकार मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता सेवा प्रदाता को आवेदन करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, मध्यस्थता सेवा प्रदाता सात दिन की अवधि के भीतर, नियुक्त करेगा,—

(i) पार्टियों द्वारा सहमत मध्यस्थ; या

(ii) अगर पार्टियों मीडिएटर की नियुक्ति के बारे में सहमति नहीं बना पाती हैं या उनके द्वारा तय किया गया मीडिएटर मीडिएटर के तौर पर काम करने से मना कर देता है, तो उनकी सहमति से उनके द्वारा बनाए गए पैनल में से एक मीडिएटर बनाया जाएगा।

(5) उपधारा (4) के खंड (i) के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति अपनी सहमति या अन्यथा की सूचना ऐसी नियुक्ति की सूचना प्राप्त होने की तिथि से सात दिन की अवधि के भीतर देगा।

पार्टियों की पसंद।

9. मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर, अपने बनाए गए मीडिएटर के पैनल में से किसी व्यक्ति को अपॉइंट करते समय, उसकी काबिलियत और झागड़े को सुलझाने के लिए पार्टियों की पसंद पर विचार करेगा।

हितों का टकराव और खुलासा।

10. (1) मध्यस्थ के रूप में नियुक्त व्यक्ति मध्यस्थता के संचालन से पहले पक्षों को किसी भी परिस्थिति या संभावित परिस्थिति, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, वित्तीय या अन्यथा, के बारे में लिखित रूप में खुलासा करेगा, जो किसी भी तरह के हितों के टकराव का कारण बन सकती है या जो मध्यस्थ के रूप में उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह को जन्म दे सकती है।

(2) मध्यस्थता के दौरान मध्यस्थ अविलम्ब पक्षकारों को उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी हित संघर्ष की लिखित जानकारी देगा, जो हाल ही में उत्पन्न हुआ हो या उसकी जानकारी में आया हो।

(3) उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रकटीकरण किए जाने पर पक्षकारों के पास किसी भी आपत्ति को छोड़ने का विकल्प होगा, यदि वे सभी लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, जिसे पक्षकारों की सहमति माना जाएगा।

(4) उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रकटीकरण करने पर, यदि कोई भी पक्षकार चाहे तो मध्यस्थ को बदलें, फिर, निम्नलिखित स्थिति में—

(i) संस्थागत मध्यस्थता, ऐसा पक्ष मध्यस्थता सेवा प्रदाता को आवेदन करेगा मध्यस्थ के अधिदेश की समाप्ति के लिए;

(ii) संस्थागत मध्यस्थता के अलावा अन्य मध्यस्थता, ऐसा पक्ष मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त कर देगा।

मीडिएटर का काम खत्म होना।

11. मध्यस्थता सेवा प्रदाता किसी मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त कर सकता है—

(i) धारा 10 की उपधारा (4) के खंड (i) के अधीन किसी पक्षकार से आवेदन की प्राप्ति ; या

(ii) पार्टिसिपेंट्स या किसी दूसरे व्यक्ति से मीडिएटर के कॉन्फिलक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में शामिल होने की जानकारी मिलना; या

(iii) किसी भी कारण से मध्यस्थता से उसका हटना:

बशर्ते कि वर्तोंज (ii) के तहत टर्मिनेशन तब किया जाएगा, अगर मीडिएटर को सुनने के बाद, मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर को लगता है कि मीडिएटर की आज्ञादी या निष्पक्षता के बारे में सही शक है और यह बात पार्टियों के ध्यान में लाई गई है और कोई भी पार्टी मीडिएटर को बदलना चाहती है।

12. मध्यस्थ का कार्यकाल समाप्त होने पर—

विचालिए का बदलना।

(i) सेक्षण 10 के सब-सेक्षण (4) के कलॉज़ (ii) के तहत इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन के अलावा किसी और मीडिएशन के मामले में, पार्टियां ऐसे खत्म होने के सात दिन के अंदर कोई दूसरा मीडिएटर अपॉइंट कर सकती हैं; और

(ii) धारा 11 के तहत मध्यस्थता सेवा प्रदाता ऐसी समाप्ति से सात दिनों की अवधि के भीतर अपने द्वारा बनाए गए पैनल से एक अन्य मध्यस्थ नियुक्त करेगा।

अध्याय 5

मध्यस्थता कार्यवाही

13. इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक मध्यस्थता क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर की जाएगी विवाद के विषय पर निर्णय लेने के लिए सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय या न्यायाधिकरण का:

मध्यस्थता करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र।

बशर्ते कि पार्टियां की आपसी सहमति से, कोई या द्विभूत के इलाके के अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी भी जगह पर, या ऑनलाइन मीडिएशन के ज़रिए मीडिएशन किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण।— शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां पक्ष मध्यस्थता निपटान समझौते के प्रवर्तन, चुनौती और पंजीकरण के उद्देश्य से क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी भी स्थान पर या ऑनलाइन मध्यस्थता करने के लिए सहमत होते हैं, तो इसे सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय या न्यायाधिकरण के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किया गया माना जाएगा।

14. किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही को शुरू हो गया है—

मध्यस्थता की शुरुआत।

(a) जहां पार्टियों के बीच विवाद को मीडिएशन के ज़रिए निपटाने का पहले से कोई एग्रीमेंट है, तो वह तारीख जिस दिन पार्टी या पार्टियों को मीडिएशन शुरू करने वाली पार्टी से ऐसे विवाद को मीडिएशन के लिए भेजने का नोटिस मिलता है; या

(ख) अन्य मामलों में—

(i) जहां पार्टियों अपने बीच झगड़ों को सुलझाने और बीच-बचाव के लिए अपनी पसंद का मीडिएटर अपॉइंट करने पर सहमत हो गई हैं, उस तारीख को जब मीडिएटर अपॉइंटमेंट के लिए अपनी सहमति देता है; या

(ii) जहां पक्षों में से एक मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता सेवा प्रदाता को आवेदन करता है, मध्यस्थ की नियुक्ति की तिथि।

15. (1) मध्यस्थता प्रक्रिया विनिर्दिष्ट तरीके से संचालित की जाएगी।

मध्यस्थता का संचालन।

(2) मध्यस्थ पक्षकारों को उनके विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के प्रयास में स्वतंत्र, तटस्थ एवं निष्पक्ष तरीके से सहायता करेगा।

(3) मध्यस्थ को हर समय वस्तुनिष्ठा और निष्पक्षता के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए तथा पक्षों की स्वैच्छिकता, गोपनीयता और आत्मनिर्णय की रक्षा करनी चाहिए तथा पेशेवर और नैतिक आचरण के मानकों का पालन करना चाहिए, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(4) मध्यस्थता प्रक्रिया में मध्यस्थ ऐसे उपाय कर सकता है जिन्हें मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझा जाए, जिसमें पक्षों या प्रतिभागियों के साथ संयुक्त रूप से या अलग-अलग, मध्यस्थ द्वारा उचित समझे जाने वाले अंतराल पर बैठकें करना शामिल है, ताकि मध्यस्थता आयोजित की जा सके और मध्यस्थता के दौरान प्रक्रिया को व्यवस्थित और समय पर संचालित किया जा सके तथा इसकी अखंडता को बनाए रखा जा सके।

(5) मध्यस्थ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से बाध्य नहीं होगा।

1908 का 5.

1872 का 1.

(6) मध्यस्थ, पक्षकारों की सहमति से, मध्यस्थता प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं का निर्धारण करेगा।

16. (1) मध्यस्थ पक्षों द्वारा विवाद के स्वैच्छिक समाधान को सुगम बनाने का प्रयास करेगा और प्रत्येक पक्ष के दृष्टिकोण को दूसरे पक्ष द्वारा सहमत सीमा तक संप्रेषित करेगा, मुद्रों की पहचान करने, बेहतर समझ को आगे बढ़ाने, प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने में उनकी सहायता करेगा,

विचालिए की भूमिका।

विवाद को जल्दी से सुलझाने की कोशिश में सेटलमेंट के एरिया तलाशना और ऑप्शन बनाना, इस बात पर ज़ोर देना कि अपने क्लेम के बारे में फैसला लेना पार्टियों की ज़िम्मेदारी है।

(2) मध्यस्थ द्वारा पक्षकारों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा कि वह किसी विवाद को सुलझाने के लिए निर्णय पर पहुँचने में केवल सहायता करता है और वह कोई समझौता नहीं थोपेगा और न ही यह आश्वासन देगा कि मध्यस्थता के परिणामस्वरूप समझौता हो सकता है।

दूसरी कार्रवाई
में मीडिएटर की भूमिका।

17. मध्यस्थ निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा-

(क) किसी विवाद के संबंध में किसी मध्यस्थता या न्यायिक कार्यवाही में मध्यस्थ या पक्षकार के प्रतिनिधि या वकील के रूप में कार्य करना, जो मध्यस्थता कार्यवाही का विषय है;

(ख) किसी मध्यस्थता या न्यायिक कार्यवाही में पक्षकारों द्वारा गवाह के रूप में प्रस्तुत किया जाना।

मीडिएशन पूरा करने
की
टाइम-लिमिट।

18. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थता मध्यस्थ के समक्ष प्रथम उपस्थिति के लिए नियत तिथि से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

मध्यस्थता समझौता
की
समझौता।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत उल्लिखित मध्यस्थता की अवधि को पक्षकारों द्वारा सहमति के अनुसार आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, किंतु यह साठ दिनों से अधिक नहीं होगी।

19. (1) मध्यस्थता द्वारा समझौता समझौते में मध्यस्थता के परिणामस्वरूप कुछ या सभी पक्षों के बीच लिखित रूप में समझौता शामिल होता है, जो ऐसे पक्षों के बीच कुछ या सभी विवादों को सुलझाता है, और मध्यस्थ द्वारा प्रमाणित होता है:

बशर्ते कि मीडिएटर सेटलमेंट एग्रीमेंट की शर्तें मीडिएशन के लिए भेजे गए झगड़ों से आगे भी बढ़ सकती हैं।

स्पष्टीकरण---कोई मध्यस्थता वाला समझौता जो भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अंतर्गत शून्य है, मध्यस्थता वाले समझौते के अर्थ में वैध समझौता समझौता नहीं माना जाएगा।

1872 का 9.

(2) जहाँ सभी या कुछ विवादों के संबंध में पक्षों के बीच मध्यस्थता द्वारा समझौता समझौता हो जाता है, तो उसे लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और पक्षों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(3) धारा 26 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, हस्ताक्षरित मध्यस्थता निपटान करार,—

(i) संस्थागत मध्यस्थता के मामले में, मध्यस्थ को प्रस्तुत किया जाएगा, जो इसे प्रमाणित करने के बाद स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक कवरिंग पत्र के साथ मध्यस्थता सेवा प्रदाता को अग्रेषित करेगा और पक्षों को भी एक प्रति प्रदान करेगा;

(ii) बाकी सभी मामलों में, मीडिएटर को पेश किया जाएगा, जो मीडिएटर सेटलमेंट एग्रीमेंट को ऑफेंटिकेट करने के बाद, सभी पार्टियों को उसकी एक कॉपी देगा।

(4) पक्षकार मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय मध्यस्थता के विषय वस्तु वाले किसी विवाद के संबंध में समझौता कर सकते हैं।

(5) इस धारा के अंतर्गत किसी मध्यस्थता वाले निपटान समझौते में निपटान शामिल है औनलाइन मीडिएशन से होने वाला एग्रीमेंट।

मीडिएटर सेटलमेंट एग्रीमेंट
का रजिस्ट्रेशन।

20. (1) रिकॉर्ड के प्रयोजनों के लिए, पक्षों के बीच मध्यस्थता से हुए समझौता समझौते, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21 या धारा 22 के अधीन लोक अदालत के पंचाट या स्थायी लोक अदालत के अंतिम पंचाट द्वारा निर्दिष्ट न्यायालय या न्यायाधिकरण में हुए समझौतों से भिन्न हैं, पक्षों के विकल्प पर, उक्त अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य निकाय के पास, ऐसी रीति से पंजीकृत किए जा सकेंगे, जैसी कि निर्दिष्ट की जाए और ऐसा प्राधिकरण या निकाय ऐसे समझौता समझौतों को एक विशेष पंजीकरण संख्या जारी करेगा:

1987 का 39.

बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत मध्यस्थता से किया गया समझौता ऐसे प्राधिकरण या विवाद के विषय पर निर्णय करने के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या न्यायाधिकरण के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में स्थित निकाय के साथ पंजीकृत किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण।— शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपधारा में समाहित कोई बात धारा 27 के तहत मध्यस्थता से किए गए समझौते को लागू करने या धारा 28 के तहत उसे चुनौती देने के पक्षकारों के अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट पंजीकरण पक्षकारों या मध्यस्थता सेवा प्रदाता द्वारा मध्यस्थता समझौता समझौते की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर किया जा सकेगा:

बशर्ते कि मध्यस्थता द्वारा निपटारे के समझौते को एक सौ अस्सी दिन की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसे शुल्क के भुगतान पर पंजीकृत करने की अनुमति दी जा सकेगी, जैसा कि प्राधिकरण या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी अन्य निकाय के परामर्श से निर्दिष्ट किया जा सकता है।

21. धारा 26 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहाँ पक्षकारों के बीच धारा 18 के अंतर्गत निर्धारित समयावधि के भीतर कोई समझौता नहीं होता है, या जहाँ मध्यस्थ का मानना है कि कोई समझौता संभव नहीं है, वहाँ वह,—

गैर
निपटान
प्रतिवेदन।

- (i) संस्थागत मध्यस्थता के मामले में, एक गैर-निपटान रिपोर्ट प्रस्तुत करें लिखित रूप में मध्यस्थता सेवा प्रदाता;
- (ii) बाकी सभी मामलों में, एक नॉन-सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार करें और उसकी साइन की हुई कॉपी दें।
सभी पक्षों को:

बशर्ते कि इस धारा में संदर्भित रिपोर्ट में गैर-मिडिएशन के दौरान सेटलमेंट, या उनके व्यवहार से जुड़ा कोई और मामला या बात।

22. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, मध्यस्थ, मध्यस्थता सेवा प्रदाता, पक्षकार तथा मध्यस्थता में आपीदार मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित निम्नलिखित सभी मामलों को गोपनीय रखेंगे, अर्थात्:- गोपनीयता।

- (i) आभार, राय, सुझाव, वादे, प्रस्ताव, माफ़ि
- और मध्यस्थता के दौरान की गई स्वीकारोंकि;
- (ii) मध्यस्थता में किए गए या आदान-प्रदान किए गए प्रस्तावों को स्वीकार करना या स्वीकार करने की इच्छा;
- (iii) केवल मध्यस्थता के संचालन के लिए या उससे संबंधित तैयार किए गए दस्तावेज़;
- (iv) कोई अन्य मध्यस्थता संचार।

(2) मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए, मध्यस्थता कार्यवाही की कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग पक्षकारों या प्रतिभागियों जिसमें मध्यस्थ और मध्यस्थता सेवा प्रदाता भी शामिल हैं, द्वारा नहीं बनाई जाएगी या रखी नहीं जाएगी, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन आयोजित की जाए।

(3) मध्यस्थता का कोई भी पक्षकार न्यायालय या न्यायाधिकरण जिसमें मध्यस्थ न्यायाधिकरण भी शामिल है, के समक्ष किसी कार्यवाही में उपधारा (1) के खंड (i) से (iv) में दी गई किसी सूचना या संचार पर भरोसा नहीं करेगा या सबूत के तौर पर पेश नहीं करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई सूचना या मौखिक संचार शामिल है और न्यायालय या न्यायाधिकरण जिसमें मध्यस्थ न्यायाधिकरण भी शामिल है, ऐसी सूचना या साक्ष्य का संज्ञान नहीं लेगा।

(4) इस धारा के प्रावधान मध्यस्थ को अनुसंधान, रिपोर्टिंग या प्रशिक्षण उद्देशों के लिए मध्यस्थता के विषय रहे मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी संकलित करने या प्रकट करने से नहीं रोकेंगे, यदि जानकारी स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी पक्ष या प्रतिभागियों या मध्यस्थता में विशेष विवादों की पहचान नहीं करती है।

स्पष्टीकरण।— शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड में समाहित कोई भी बात मध्यस्थता वाले निपटान समझौते पर लागू नहीं होगी, जहाँ पंजीकरण, प्रवर्तन और चुनौती के उद्देश्य के लिए इसका प्रकटीकरण आवश्यक है।

खुलासे के लिए
स्वीकार्यता और
विशेषाधिकार।

23. (1) मध्यस्थता में किसी भी मध्यस्थ या भागीदार को, जिसमें मध्यस्थता के प्रयोजन के लिए नियुक्त विशेषज्ञ और सलाहकार और मध्यस्थता के प्रशासन में शामिल व्यक्ति शामिल हैं, किसी भी समय किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष या किसी न्यायिक कार्यवाही में, किसी भी प्रकार से, मध्यस्थता में किसी भी संचार का खुलासा करने, या मध्यस्थता के दौरान पक्षों के किसी भी दस्तावेज या प्रकृति या आचरण की सामग्री या शर्तों को बताने की अनुमति नहीं दी जाएगी या मजबूर नहीं किया जाएगा, जिसमें बातचीत या प्रस्तावों या प्रति प्रस्तावों की सामग्री शामिल है, जिनसे वे मध्यस्थता के दौरान परिचित हुए हैं:

बशर्ते कि इस खंड और खंड 22 में कुछ भी मध्यस्थता के दौरान होने वाले आचरण के आधार पर मध्यस्थ के पेशेवर कदाचार या कदाचार के दावे या शिकायत को साबित करने या विवाद करने के लिए मांगी गई या प्रदान की गई सूचना के प्रकटीकरण से सुरक्षा नहीं करेगा।

(2) ऐसा कोई विशेषाधिकार या गोपनीयता नहीं होगी, जो निम्नलिखित से संबद्ध होगी-

- (क) किसी समय लागू कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने की धमकी या योजना का कथन;
- (ब) घरेलू हिंसा या बाल शोषण से संबंधित जानकारी; और
- (स) मीडिएशन के दौरान दिए गए बयान, जिनसे पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी को बड़ा खतरा दिखे।

मध्यस्थता की समाप्ति।

24. इस अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी,—

(अ) मीडिएटेड सेटलमेंट एमीमेंट पर साइन और ऑर्थेटिकेशन की तारीख को; या

(ब) पार्टियों से सलाह-मशविरा करने के बाद या किसी और तरह से, मीडिएटर के लिखित ऐलान की तारीख को, कि मीडिएशन की आगे की कोशिशें अब सही नहीं हैं; या

(ग) पक्ष या पक्षों द्वारा मध्यस्थ तथा अन्य पक्षों को लिखित रूप में इस आशय का संचार करने की तिथि को कि पक्ष मध्यस्थता से बाहर निकलना चाहता है;

(घ) धारा 18 के अन्तर्गत समय-सीमा समाप्त होने पर।

मीडिएशन की
लागत।

25. (1) सामुदायिक मध्यस्थता के अलावा मध्यस्थता की लागत ऐसी होगी, जैसी विनिर्दिष्ट की जा सकेगी।

(2) जब तक पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती, मध्यस्थता की सारी लागतें, जिसमें मध्यस्थ की फीस और मध्यस्थता सेवा प्रदाता के शुल्क शामिल हैं, पक्षों द्वारा समान रूप से वहन की जाएंगी।

विधिक सेवा प्राधिकरण
अधिनियम, 1987 के
अंतर्गत लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।

1987 का 39.

26. इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित द्वारा संचालित कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे:

अध्याय VI

मध्यस्थता समझौता समझौते का प्रवर्तन

मध्यस्थता से हुए समझौते
का प्रवर्तन
समझौता।

27. (1) पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित और मध्यस्थ द्वारा प्रमाणित मध्यस्थता से उत्पन्न मध्यस्थता निपटान समझौता अंतिम होगा और उनके तहत दावा करने वाले पक्षकारों और व्यक्तियों पर क्रमशः बाध्यकारी होगा तथा उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार लागू होगा।

(2) धारा 28 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मध्यस्थता द्वारा किया गया समझौता सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अनुसार उसी प्रकार लागू किया जाएगा,

1908 का 5.

इस तरह से कि यह किसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या डिक्री हो, और तदनुसार, किसी भी पक्ष या उनके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी भी कानूनी कार्यवाही में बचाव, सेट ऑफ या अन्यथा के रूप में इस पर भरोसा किया जा सकता है।

28. (1) समय-समय पर लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज पर ध्यान दिए बिना, किसी भी मामले में जिसमें पक्षों के बीच मध्यस्थता से समझौता हो जाता है और दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा उसे चुनौती दी जाती है, ऐसा पक्ष सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है।

मध्यस्थता से समाधान
को चुनौती
समझौता।

(2) किसी मध्यस्थता द्वारा किए गए समझौते को केवल निम्नलिखित सभी या किसी एक आधार पर चुनौती दी जा सकेगी, अर्थात्:

—

- (i) धोखाधड़ी;
- (ii) भ्रष्टाचार;
- (iii) प्रतिरूपण;

(iv) जहाँ मध्यस्थता विवादों या मामलों में की गई थी जो मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं थे
धारा 6 के तहत।

(3) मध्यस्थता द्वारा समझौता किए जाने को चुनौती देने के लिए कोई आवेदन, आवेदन करने वाले पक्षकार को धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन मध्यस्थता द्वारा समझौता किए जाने की प्रति प्राप्त होने की तिथि से नब्बे दिन बीत जाने के पश्चात नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि अगर कोट या ट्रिव्यूनल, जैसा भी मामला हो, इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदक को नब्बे दिन की अवधि के अंदर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह नब्बे दिन की अतिरिक्त अवधि के अंदर आवेदन पर विचार कर सकता है।

1963 का 36.

29. सीमा अधिनियम, 1963 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उन विवादों से संबंधित किसी कार्यवाही के लिए नियत सीमा अवधि की गणना करने में, जिनके संबंध में इस अधिनियम के अधीन मध्यस्थता की गई है, धारा 14 के अधीन मध्यस्थता आरंभ होने की तारीख से लेकर निम्नलिखित तक की अवधि मानी जाएगी—

सीमा.

- (i) धारा 21 के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करना; या
- (ii) धारा 24 के अंतर्गत मध्यस्थता की समाप्ति,

बाहर रखा जाएगा।

अध्याय VII

ऑनलाइन मध्यस्थता

30. (1) इस अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थता के किसी भी चरण में पक्षकारों की लिखित सहमति से, मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता सहित ऑनलाइन मध्यस्थता संचालित की जा सकती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग शामिल है, लेकिन यह एन्क्रिप्टेड इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा, सुरक्षित चैट रूम या वीडियो या ऑडियो मोड या दोनों के द्वारा कॉन्फ्रैंसिंग तक सीमित नहीं है।

ऑनलाइन
मध्यस्थता।

(2) ऑनलाइन मध्यस्थता की प्रक्रिया ऐसी रीत से होगी, जैसी विनिर्दिष्ट की जा सकेगी।

(3) ऑनलाइन मध्यस्थता का संचालन ऐसी परिस्थितियों में किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करे कि कार्यवाही की सत्यनिष्ठा और गोपनीयता के आवश्यक तत्व हर समय बनाए रखे जाएं और मध्यस्थ इस संबंध में ऐसे उचित कदम उठा सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

(4) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऑनलाइन मध्यस्थता के मामले में मध्यस्थता संचार, मध्यस्थता की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

अध्याय आठ

भारतीय मध्यस्थता परिषद

31. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक परिषद की स्थापना करेगी जिसे भारतीय मध्यस्थता परिषद के नाम से जाना जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का पालन और कार्यों का निर्वहन करेगी।

मैटिएशन कार्डिसल की
स्थापना
और उसे शामिल करना।

(2) परिषद पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, जिसे इस अधिनियम के उपर्युक्तों के अधीन रहते हुए चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण और निपटान करने तथा करार करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) परिषद का मुख्यालय दिल्ली में अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य स्थान पर होगा।

(4) परिषद, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से भारत में तथा विदेशों में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगी।

परिषद की संरचना.

32. (1) परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:-

(क) योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला एक व्यक्ति जिसके पास कानून, वैकल्पिक विवाद समाधान अधिमानतः मध्यस्थता, सार्वजनिक मामलों या प्रशासन से संबंधित समस्याओं से निपटने में पर्याप्त ज्ञान और पेशेवर अनुभव हो या क्षमता दर्शाई गई हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा - अध्यक्ष;

(ख) मध्यस्थता या वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र से संबंधित कानून का ज्ञान और अनुभव रखने वाला व्यक्ति, जिसे केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा
सरकार—सदस्य;

(ग) मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान कानूनों के क्षेत्र में अनुसंधान या शिक्षण का अनुभव रखने वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसे केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा
सरकार—सदस्य;

(घ) भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग में सचिव,
विधि और न्याय मंत्रालय या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो—
सदस्य, पदेन;

(ङ) भारत सरकार के व्यय विभाग में सचिव,
वित्त मंत्रालय या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे न हो—
सदस्य, पदेन;

(च) मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सदस्य-सचिव, पदेन; और
(छ) वाणिज्य और उद्योग के किसी मान्यता प्राप्त निकाय का एक प्रतिनिधि, जिसे
केन्द्रीय सरकार द्वारा-अंशकालिक सदस्य।

(2) परिषद के सदस्य, पदेन सदस्यों को छोड़कर, चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जिस तिथि को वे अपना पद ग्रहण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे:

बशर्ते कि पदेन सदस्य के अलावा कोई अन्य सदस्य, अध्यक्ष के मामले में सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात और अन्य सदस्यों के मामले में सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा:

यह भी प्रावधान है कि यदि चेयरपर्सन की नियुक्ति पार्ट-टाइम आधार पर की जाती है, तो कम से कम खंड (ख) या (ग) के अंतर्गत नियुक्त सदस्यों में से एक पूर्णकालिक सदस्य होगा।

(3) पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य निबंधन व शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएं।

(4) सदस्य ऐसे यात्रा तथा अन्य भत्तों का हकदार होगा, जैसा कि विहित किया जा सकेगा।

33. परिषद का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अवैध नहीं होगी कि-

(क) परिषद के गठन में कोई रिक्ति या कोई दोष;

(ब) किसी व्यक्ति की काउंसिल के सदस्य के तौर पर नियुक्ति में कोई कमी; या

(ग) परिषद की प्रक्रिया में कोई अनियमितता जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित न करे।

रिक्तियां, आदि
अमान्य नहीं होंगी

परिषद की कार्यवाही।

इस्तीफा.

34. सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकता है:

बशर्ते कि सदस्य, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा उसे अपना पद जल्दी छोड़ने की अनुमति न दी जाए, ऐसी सूचना मिलने की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक या जब तक कि उसके उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत नियुक्त व्यक्ति उसका पद ग्रहण नहीं कर लेता या उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा।

35. केन्द्रीय सरकार किसी भी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, यदि वह-

हटाना.

- (क) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या
- (ब) अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय, केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी भी वेतन वाली नौकरी में लगा हो; या
- (ग) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो केन्द्रीय न्यायालय की राय में सरकार, वैतिक पतन से जुड़ी है; या
- (द) ऐसा फाइनेंशियल या दूसरा फायदा कमाया हो जिससे मेंबर के तौर पर उसके काम पर बुरा असर पड़ने की संभावना हो; या
- (e) अपने पद का इस तरह गलत इस्तेमाल किया है कि उसका पद पर बने रहना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नुकसानदायक हो गया है; या
- (च) सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो:

बशर्ते कि जहां किसी सदस्य को किसी भी आधार पर हटाने का प्रस्ताव हो, तो उसे उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया जाएगा और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का मौका दिया जाएगा।

36. परिषद्, ऐसे विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकेगी और विशेषज्ञों की ऐसी समितियों का गठन कर सकेगी, जिन्हें वह अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, ऐसे नियमों और शर्तों पर, जो निर्दिष्ट की जा सके।

एक्सपर्ट्स की नियुक्ति और कमीटियों का गठन।

37. (1) परिषद का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जो निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:
काउंसिल के फैसलों के रोज़ाना के एडमिनिस्ट्रेशन और लागू करने के लिए।

सेक्रेटेरिएट और काउंसिल के चीफ
एम्जीक्यूटिव
ऑफिसर।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की योग्यता, नियुक्ति तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) परिषद का एक सचिवालय होगा, जिसमें उतने अधिकारी और कर्मचारी होंगे, जितने विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे।

(4) किसी कर्मचारी की योग्यता, नियुक्ति तथा सेवा की अन्य शर्तें व निबंधन परिषद के कर्मचारी और अन्य अधिकारी ऐसे होंगे, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(5) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के अधीन विनियमन बनाए जाने तक परिषद के कार्यकरण के लिए उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने आवश्यक हों।

38. परिषद्-

काउंसिल के कर्तव्य
और काम।

(क) उपयुक्त दिशा-निर्देशों के माध्यम से भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को बढ़ावा देने का प्रयास करना;

(ख) भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का एक मजबूत केंद्र बनाने का प्रयास करना;

(ग) मान्यता प्राप्त मध्यस्थता संस्थानों द्वारा मध्यस्थों की सतत शिक्षा, प्रमाणन और मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना;

(घ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के तरीके के लिए उपबंध करना;

(ई) मध्यस्थों के पंजीकरण के तरीके और नवीनीकरण, वापस लेने, निलंबन के लिए प्रावधान करें या निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर पंजीकरण रद्द कर सकता है;

(च) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन मध्यस्थों के वृत्तिक और वैतिक आचरण के लिए मानक अधिकथित करना ;

(छ) मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं, कानूनी फर्मों तथा विश्वविद्यालयों तथा भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के अन्य हितधारकों तथा किसी भी अन्य मध्यस्थता संस्थान के साथ मिलकर मध्यस्थता के क्षेत्र में प्रशिक्षण, कार्यशालाएं तथा पाठ्यक्रम आयोजित करना;

(ज) घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों अथवा संगठनों अथवा संस्थाओं के साथ सहमति ज्ञापन अथवा समझौते करना;

(i) मध्यस्थता संस्थानों तथा मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को मान्यता देना तथा ऐसी मान्यता को नवीनीकृत, वापस लेना, निलंबित या रद्द करना;

(जे) मध्यस्थता संस्थानों और मध्यस्थता की मान्यता के लिए मानदंड निर्दिष्ट करें सेवा प्रदाताओं;

(ट) मध्यस्थता संस्थानों तथा मध्यस्थता से संबंधित कोई भी सूचना या अभिलेख मंगाना सेवा प्रदाताओं;

(ठ) मध्यस्थता के पेशेवर और नैतिक आचरण के लिए मानक निर्धारित करना संस्थान और मध्यस्थता सेवा प्रदाता;

(एम) ऐसी सूचना, डेटा, शोध अध्ययन और ऐसी अन्य जानकारी प्रकाशित करें जैसी आवश्यकता हो;

(n) भारत में किए गए मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट और उससे जुड़े दूसरे रिकॉर्ड की एक इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी बनाए रखना, जैसा बताया जा सकता है, और

(ण) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे गए कोई अन्य कार्य करना।

मॉनिटरिंग और
रिपोर्टिंग।

39. (1) परिषद प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र या केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशित ऐसे अन्य अंतरालों पर उस वर्ष या ऐसे अंतराल के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार परिषद के कामकाज को बढ़ावा देने और अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ऐसे अतिरिक्त उपाय कर सकती, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

अध्याय 9

मध्यस्थता सेवा प्रदाता और मध्यस्थता संस्थान

मीडिएशन सर्विस
प्रोवाइडर।

40. (1) "मध्यस्थता सेवा प्रदाता" में सम्मिलित हैं-

(क) ऐसा निकाय या संगठन जो इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अधीन मध्यस्थता के संचालन का प्रावधान करता है और जिसे भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है।
परिषद; या

(ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत गठित प्राधिकरण; या

1987 का 39.

(c) कोटि से जुड़ा मीडिएशन सेंटर; या

(घ) कोई अन्य निकाय जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए:

बशर्ते कि खंड (ख), (ग) तथा (घ) में निर्दिष्ट निकायों को परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त मध्यस्थता सेवा प्रदाता माना जाएगा।

(2) मध्यस्थता सेवा प्रदाता को परिषद द्वारा इस प्रकार मान्यता दी जाएगी:

निर्दिष्ट किया जा सकता है।

मीडिएशन सर्विस
प्रोवाइडर के काम।

41. मध्यस्थता सेवा प्रदाता निम्नलिखित कार्य करेंगे, अर्थात्—

(क) मध्यस्थों को मान्यता प्रदान करना तथा मध्यस्थों का पैनल बनाए रखना;

(ख) मध्यस्थता के संचालन के लिए मध्यस्थ की सेवाएं प्रदान करना;

(ग) मध्यस्थता के कुशल संचालन के लिए सभी सुविधाएं, सचिवीय सहायता और बुनियादी ढांचा प्रदान करना;

- (घ) मध्यस्थों के बीच पेशेवर और नैतिक आचरण को बढ़ावा देना;
- (ए) सेवन 20 के प्रोविजन के अनुसार मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन को आसान बनाना; और
- (च) ऐसे अन्य कार्य जो विनिर्दिष्ट किए जायें।

42. परिषद मध्यस्थता संस्थानों को ऐसे कर्तव्यों का पालन करने और ऐसे कार्य करने के लिए मान्यता देगी, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

मध्यस्थता
संस्थान।

अध्याय दस

सामुदायिक मध्यस्थता

43. (1) कोई विवाद जिससे किसी क्षेत्र या इलाके के निवासियों या परिवारों के बीच शांति, सद्ग्राव और शांति प्रभावित होने की संभावना हो, विवाद के पक्षों की पूर्व आपसी सहमति से सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।

कम्युनिटी मीडिएशन।

1987 का 39.

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कोई भी पक्ष विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित संबंधित प्राधिकरण या उन क्षेत्रों में जिला मजिस्ट्रेट या उप-मंडल मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेगा, जहां ऐसा कोई प्राधिकरण गठित नहीं किया गया है।

1987 का 39.

(3) किसी विवाद के निपटारे को सुगम बनाने के लिए, जिसके लिए उप-धारा (2) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त हुआ है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित संबंधित प्राधिकरण या जिला मजिस्ट्रेट या उप-मंडल मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, तीन सामुदायिक मध्यस्थों का पैनल गठित करेंगे।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण या जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, सामुदायिक मध्यस्थों का एक स्थायी पैनल अधिसूचित करेगा, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकेगा।

(5) निम्नलिखित व्यक्तियों को उपधारा (4) में निर्दिष्ट पैनल में शामिल किया जा सकेगा, जैसे-

- (क) प्रतिष्ठित एवं सत्यनिष्ठ व्यक्ति जो समुदाय में सम्माननीय हो;
- (ख) कोई स्थानीय व्यक्ति जिसके समाज में योगदान को मान्यता दी गई हो;
- (ग) क्षेत्र या निवासी कल्याण संघों का प्रतिनिधि;
- (द) मीडिएशन के फील्ड में अनुभव रखने वाला व्यक्ति; और
- (इ) कोई अन्य व्यक्ति जिसे उपयुक्त समझा जाए।

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट पैनल बनाते समय महिलाओं या किसी दूसरे क्लास या कैटेगरी के लोगों पर विचार किया जा सकता है।

कम्युनिटी मीडिएशन का
प्रोसेस।

44. (1) कोई भी सामुदायिक मध्यस्थता धारा 43 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट तीन सामुदायिक मध्यस्थों के पैनल द्वारा संचालित की जाएगी, जो विवाद को सुलझाने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्रक्रिया तैयार करेंगे।

(2) सामुदायिक मध्यस्थ सामुदायिक माध्यम से विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे मध्यस्थता और पार्टियों को आपसी झगड़े सुलझाने में मदद देना।

(3) ऐसे हर मामले में, जहां इस अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से समझौता समझौता हो जाता है, उसे पक्षकारों के हस्ताक्षर के साथ लिखित रूप में तैयार किया जा सकेगा और सामुदायिक मध्यस्थों द्वारा प्रमाणित किया जा सकेगा, जिसकी एक प्रति पक्षकारों को दी जाएगी और ऐसे मामलों में, जहां कोई समझौता समझौता नहीं हो पाता है, सामुदायिक मध्यस्थों द्वारा एक गैर-समझौता रिपोर्ट प्राधिकरण या जिला मजिस्ट्रेट या उप-मंडल मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, को और पक्षकारों को प्रस्तुत की जा सकेगी।

(4) इस अध्याय के अंतर्गत किया गया कोई समझौता किसी क्षेत्र या बस्ती के निवासियों या परिवारों के बीच शांति, सौहार्द और सौहार्द बनाए रखने के प्रयोजन के लिए होगा, किन्तु यह किसी सिविल न्यायालय के निर्णय या डिक्री के रूप में लागू नहीं होगा।

(5) धारा 20 के प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस धारा के अंतर्गत मध्यस्थता निपटान समझौते के पंजीकरण के संबंध में लागू होंगे।

अध्याय ग्यारह

मिश्रित

मध्यस्थता निधि।

45. (1) इस अधिनियम के अधीन मध्यस्थता को बढ़ावा देने, सरलीकरण और प्रोत्साहन देने के प्रयोजनों के लिए "मध्यस्थता निधि" (जिसे आगे "निधि" कहा जाएगा) नामक एक निधि होगी, जिसका प्रशासन परिषद द्वारा किया जाएगा।

(2) निधि में निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात् -

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई समस्त धनराशि;

(बी) मध्यस्थता सेवा प्रदाता, मध्यस्थता से प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार संस्थान या निकाय या व्यक्ति;

(ग) परिषद द्वारा दान, अनुदान, अंशदान तथा अन्य स्रोतों से आय के रूप में प्राप्त समस्त धनराशि;

(घ) निधि के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान;

(ई) निधि में अंशदान के रूप में व्यक्तियों द्वारा जमा की गई राशि;

(f) किसी अन्य स्रोत से निधि में प्राप्त राशि; और

(छ) उपरोक्त पर व्याज या किए गए निवेश से प्राप्त अन्य आय फंड से.

(3) इस निधि का उपयोग सदस्यों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्तों को पूरा करने तथा परिषद के व्ययों, जिसमें इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के उपयोग और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी शामिल हैं, के लिए किया जाएगा।

अकाउंट्स और अंडिट।

46. (1) परिषद उचित खाते तथा अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगी तथा बैलेंस शीट सहित खातों का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप और तरीके से तैयार करेगी जैसा कि भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के परामर्श से विहित किया जा सकता है।

(2) परिषद के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा किया जाएगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक तथा परिषद के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में बही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे, जो भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को सरकारी लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में प्राप्त हैं, तथा विशेष रूप से उसे बही-खातों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने तथा परिषद के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक अधवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित परिषद के लेखे, उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

केंद्र सरकार की निर्देश जारी करने की शक्ति।

47. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपर्याखों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय या अपने कार्यों का पालन करते समय, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों से आबद्ध होगी जो केन्द्रीय सरकार उसे समय-समय पर लिखित रूप में दे :

बशर्ते कि किसी भी निर्णय से पहले परिषद के विचारों पर विचार किया जाएगा इस उप-धारा के अंतर्गत निर्देश दिया गया है।

(2) कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं, इस बारे में केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

48. इस अधिनियम के प्रावधारों के अधीन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उसकी कोई संस्था या एजेंसी, जैसा भी मामला हो, उन मामलों में मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से किसी विवाद के समाधान के लिए कोई योजना या दिशानिर्देश तैयार कर सकती है जहां केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उसकी कोई संस्था या एजेंसी पक्षों में से एक है और ऐसे मामलों में मध्यस्थता या सुलह ऐसी योजनाओं या दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जा सकती है।

स्कीम या
गाइडलाइन बनाने की
शक्ति।

49. इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, वाणिज्यिक विवाद सहित कोई विवाद, जिसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसकी कोई एजेंसी, सार्वजनिक निकाय, निगम और स्थानीय निकाय, जिनमें उनके द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व वाली संस्थाएं शामिल हैं, पक्षकार है, समझौते पर हस्ताक्षर केवल ऐसी सरकार या उसकी किसी संस्था या एजेंसियों, सार्वजनिक निकायों, निगमों और स्थानीय निकायों, जैसा भी मामला हो, के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद ही किए जाएंगे।

मध्यस्थता
समझौता जहां

50. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या परिषद के सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या मध्यस्थ, मध्यस्थता संस्थान, मध्यस्थता सेवा प्रदाता के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्गावपूर्वक की जाती है या किए जाने का आशय है।

अच्छी नीति से की गई¹
कार्रवाई की सुरक्षा।

51. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

नियम बनाने
की शक्ति।

(2) विशेषतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे-

(क) धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा निबंधन और शर्तें;

(ख) धारा 32 की उपधारा (4) के अधीन सदस्य को देय यात्रा एवं अन्य भत्ते;

(ग) धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन बैलेंस शीट सहित वार्षिक लेखा विवरण का प्रारूप और तरीका; और

(घ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है अथवा किया जा सकता है।

52. (1) परिषद, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बना सकेगी।

नियम बनाने की
शक्ति।

(2) विशेषतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमन निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकेंगे-

(क) धारा 8 की उपधारा (1) के प्रावधान के अधीन विदेशी राष्ट्रीयता के मध्यस्थों के लिए योग्यता, अनुभव और मान्यता;

(ख) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन मध्यस्थता कार्यवाही संचालित करने का तरीका;

(ग) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन मध्यस्थों के वृत्तिक और नैतिक आचरण के मानक;

(घ) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन मध्यस्थता द्वारा समझौता किए जाने के पंजीकरण का तरीका;

(ई) धारा 20 की उपधारा (2) के प्रावधान के तहत मध्यस्थता निपटान समझौते के पंजीकरण के लिए शुल्क;

(च) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन मध्यस्थता की लागत;

(छ) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन ऑनलाइन मध्यस्थता संचालन की प्रक्रिया का तरीका;

(ज) धारा 36 के अधीन विशेषज्ञों और विशेषज्ञों की समितियों के निबंधन और शर्तें;

(i) अभ्यर्थी की योग्यताएं, नियुक्ति तथा सेवा की अन्य शर्तें व निबंधन
धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी;

(जे) धारा 37 की उपधारा (4) के अधीन परिषद के सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या;

(ट) पद की योग्यता, नियुक्ति तथा अन्य नियम व शर्तें
धारा 37 की उपधारा (5) के अधीन परिषद के कर्मचारी और अन्य अधिकारी;

(ठ) मध्यस्थों के पंजीकरण तथा नवीनीकरण, वापसी, निलंबन की शर्तें
या धारा 38 के खंड (घ) के तहत ऐसे पंजीकरणों को रद्द करना ;

(ड) धारा 38 के खंड (झ) के अधीन मध्यस्थता संस्थानों और मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए मानदंड ;

(एन) मध्यस्थता निपटान के इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी के रखरखाव का तरीका
धारा 38 के खंड (एम) के अधीन समझौता ;

(ण) धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन मध्यस्थता सेवा प्रदाता की मान्यता का तरीका;

(त) धारा 41 के खंड (एफ) के अधीन मध्यस्थता सेवा प्रदाता के ऐसे अन्य कार्य ;

(क्यू) मध्यस्थता संस्थानों द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य और कार्य
धारा 42; और

(द) कोई अन्य विषय जिसके संबंध में निष्पादन के लिए उपबंध आवश्यक है
इस अधिनियम के तहत परिषद के कार्यों का विवरण।

53. धारा 6 की उपधारा (2) या धारा 55 की उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, इस अधिनियम के अधीन बनाया गया नियम और विनियमन, जारी या बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक क्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त क्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के समापन के पूर्व दोनों सदन अधिसूचना, नियम या विनियमन में कोई संशोधन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि अधिसूचना, नियम या विनियमन जारी नहीं किया जाना चाहिए या बनाया नहीं जाना चाहिए तो उसके पश्चात अधिसूचना, नियम या विनियमन के केवल ऐसे संशोधित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; तथापि, ऐसे किसी संशोधन या निष्प्रभावीकरण से उस अधिसूचना, नियम या विनियमन के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

को शक्ति
निकालना
कठिनाइयाँ।

54. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके पारित होने के पश्चात यथाशीघ्र, सदन में रखा जाएगा। संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा गया।

55. (1) द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों का मध्यस्थता या सुलह के संचालन के लिए अध्यारोही प्रभाव होगा, भले ही तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून और विधि के बल वाले किसी लिखित में इससे असंगत कोई बात हो।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है और तदुपरांत वह तदनुसार संशोधित मानी जाएगी।

एक के प्राविज्ञन का दृश्ये
कानूनों में मौजूद
मीडिएशन या सुलह
पर ओवरराइडिंग
असर होगा।

56. यह अधिनियम किसी भी मध्यस्थता या सुलह पर, या उसके संबंध में लागू नहीं होगा
इस अधिनियम के लागू होने से पहले।

यह एक पैडिंग कार्बाई पर
लागू नहीं होगा।

57. न्यायालय-संलग्न मध्यस्थता के संचालन को नियंत्रित करने वाले लागू नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक कि धारा 15 की उपाधारा (1) के अधीन विनियमन नहीं बना दिए जाते:

अस्थायी प्रावधान।

बशर्ते कि ये नियम, रेगुलेशन के लागू होने की तारीख तक पैडिंग सभी कोर्ट से जुड़ी मीडिएशन में लागू रहेंगे।

58. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 को तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधित किया जाएगा।

1872 के अधिनियम 9
का संशोधन।

59. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिनियम संख्या 5973 में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन किया जाएगा।
चौथी अनुसूची।

अधिनियम 5 का
संशोधन
1908.

60. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में निर्दिष्ट तरीके से संशोधन किया जाएगा।
पांचवीं अनुसूची में।

अधिनियम 39 का
संशोधन
1987.

61. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में निर्दिष्ट तरीके से संशोधन किया जाएगा।
छठी अनुसूची में।

1996 के अधिनियम
26 का संशोधन।

62. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 को सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधित किया जाएगा।

2006 के अधिनियम
27 का संशोधन।

63. कंपनी अधिनियम, 2013 को आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट तरीके से संशोधित किया जाएगा।

2013 के अधिनियम
18 का संशोधन।

64. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन किया जाएगा।
नौवीं अनुसूची।

2016 के अधिनियम
4 का संशोधन।

65. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में निर्दिष्ट तरीके से संशोधन किया जाएगा।
दसवीं अनुसूची।

अधिनियम 35, 2019
का संशोधन।

पहला कार्यक्रम

(अनुभाग 6 देखें)

विवाद या मामले जो मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं हैं

1. ऐसे विवाद जो किसी मौजूदा कानून के तहत मीडिएशन के लिए नहीं लाए जा सकते।

2. नाबालिगों, देवताओं के खिलाफ दारों से संबंधित विवाद; अनुसूची के पैराग्राफ 2 के तहत बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड (टी) में परिभाषित उच्च सहायता की आवश्यकता वाले विकलांग व्यक्ति; मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (एस) में परिभाषित मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति; विकृत चित्त वाले व्यक्ति, जिनके संबंध में सिविल प्रक्रिया सहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश XXXII के तहत कार्यवाही संचालित की जानी है; और सरकार के खिलाफ स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमे; रेम में अधिकार के प्रभाव वाली घोषणा।

3. आपराधिक अपराधों के लिए अभियोजन से जुड़े विवाद।

4. किसी भी व्यवसायी, या अन्य पंजीकृत पेशेवर, जैसे कानूनी व्यवसायी, चिकित्सा व्यवसायी, दंत चिकित्सक, वास्तुकार, चार्टर्ड एकाउटेंट, या किसी भी विवरण के किसी भी अन्य पेशे के संबंध में पंजीकरण, अनुशासन, कदाचार के संबंध में किसी भी वैधानिक प्राधिकरण या निकाय के समक्ष शुरू की गई शिकायतें या कार्यवाही, जो किसी भी समय लागू कानून के तहत विनियमित होती है।

5. ऐसे विवाद जिनका असर किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों पर पड़ता है, जो मीडिएशन की कार्रवाई में पार्टी नहीं है, सिवाय उन वैवाहिक विवादों के जिनमें बच्चे का हित शामिल हो।

6. किसी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले किसी विषय-वस्तु से संबंधित कोई कार्यवाही, जिस पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) के अंतर्गत गठित अधिकरण का क्षेत्राधिकार हो।

7. किसी भी प्रकार के कर, वसूली, दंड या अपराध से संबंधित कोई विवाद

किसी राज्य विधानसभा या संसद द्वारा लागू किया गया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टेक्स या रिफंड।

8. कॉम्पिटिशन एक्ट, 2002 (12 of 2003) के तहत कोई भी जांच, पूछताछ या कार्रवाई, जिसमें एक्ट के तहत डायरेक्टर जनरल के सामने की कार्रवाई; टेलीकॉम रेगुलेटरी अथोरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, 1997 (24 of 1997) के तहत टेलीकॉम रेगुलेटरी अथोरिटी ऑफ इंडिया के सामने की कार्रवाई या उस एक्ट के सेवशन 14 के तहत बने टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने की कार्रवाई शामिल है।

9. विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अंतर्गत उपयुक्त आयोगों और विद्युत अपील न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां।

10. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के समक्ष कार्यवाही और अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलें।

11. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड तथा प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाही।

12. भूमि अधिग्रहण और भूमि अधिग्रहण कानूनों, अथवा भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून के किसी प्रावधान के अंतर्गत मुआवजे का निर्धारण।

13. विवाद का कोई अन्य विषय जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

दूसरी अनुसूची

(धारा 55 देखें)

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)।
2. ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46)।
3. सिनेमा-कर्मचारी और सिनेमा थिएटर कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का 50)।
4. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66)।
5. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39)।
6. माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्पाण अधिनियम, 2007 (2007 का 56)।
7. कार्यस्थल पर माहिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (2013 का 14)।
8. वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28)।
9. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35)।

तीसरी अनुसूची

(धारा 58 देखें)

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 28 में, अपवाद 1 और अपवाद 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"अपवाद 1.—उठने वाले विवाद को मध्यस्थता या मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की संविदा की व्यावृति।—यह धारा किसी ऐसे संविदा को अवैध नहीं ठहराएगी, जिसके द्वारा दो दो से अधिक व्यक्ति इस बात पर सहमत होते हैं कि किसी विषय या विषयों के वर्ग के संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाले किसी विवाद को मध्यस्थता या मध्यस्थता के माध्यम से समाधान के लिए संदर्भित किया जाएगा।

अपवाद 2. - पहले से उठे प्रश्नों को निर्दिष्ट करने की संविदा की व्यावृति।- न ही यह धारा किसी लिखित संविदा को अवैध ठहराएगी, जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति उनके बीच किसी ऐसे प्रश्न को, जो पहले ही उठ चुका है, मध्यस्थता या बीच-बचाव के लिए निर्दिष्ट करने के लिए सहमत होते हैं, या मध्यस्थता या बीच-बचाव के संदर्भों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी उपबंध पर प्रभाव डालेगी।

चौथी अनुसूची

(धारा 59 देखें)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में,—

(i) भाग 5 के अंतर्गत, विशेष कार्यवाही शीर्षक के अंतर्गत, उपशीर्षक "मध्यस्थता" को हटा दिया जाएगा;

(ii) धारा 89 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"89. न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा।- जहां न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच विवाद सुलझाया जा सकता है और समझौते के ऐसे तत्व विद्यमान हैं, जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं, वहां न्यायालय-

(a) विवाद को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर करना, और उसके बाद, आर्बिट्रेशन और सुलह एकट, 1996 (26 of 1996) के प्रोविजन वैसे ही लागू होंगे जैसे कि आर्बिट्रेशन की कार्यवाही उस एकट के प्रोविजन के तहत सेटलमेंट के लिए रेफर की गई हो; या

(b) पार्टियों को मीडिएशन के लिए, कोर्ट से जुड़े मीडिएशन सेंटर या किसी दूसरे मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर या पार्टियों के ऑप्शन के हिसाब से किसी मीडिएटर के पास भेजना, और उसके बाद मीडिएशन एकट, 2023 के नियम वैसे ही लागू होंगे जैसे मीडिएशन की कार्रवाई उस एकट के नियमों के तहत सेटलमेंट के लिए भेजी गई हो; या

(ग) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 20 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार विवाद को लोक अदालत को संदर्भित कर सकेगा और तत्पश्चात उस अधिनियम के अन्य सभी उपबंध विवाद के संबंध में लागू होंगे;

(घ) पक्षों के बीच समझौता कराना तथा न्यायिक समझौते के लिए उचित समझी जाने वाली प्रक्रिया का पालन करना।

पांचवीं अनुसूची

(धारा 60 देखें)

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 4 में खंड (एफ) के स्थान पर,
निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(च) ऑनलाइन माध्यमों सहित विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना
बातचीत, मध्यस्थता, मध्यस्थता और सुलह;".

छठी अनुसूची

(धारा 61 देखें)

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) में,—

(क) धारा 43डी में,-

(i) उपधारा (1) में, "मध्यस्थता, सुलह" शब्दों को हटा दिया जाएगा;

(ii) उपधारा (2) के खंड (ई), (एफ) और (आई) में, शब्द "और सुलह" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

जहां भी वे आते हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा;

(ख) धारा 61 से 81 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"61. अधिनियमों में सुलह का संदर्भ.- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सुलह के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए समय-समय पर लागू किसी अन्य अधिनियम में कोई प्रावधान, मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान की गई मध्यस्थता के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

(2) इस अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत उपबंधित सुलह को मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की धारा 3 के खंड (एच) में निर्दिष्ट मध्यस्थता के रूप में समझा जाएगा।

62. व्यावृति.- धारा 61 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धाराओं 61 से 81 के अनुसरण में आरंभ की गई कोई सुलह कार्यवाही, जो मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से पूर्व प्रवृत्त थी, उसी प्रकार जारी रखी जाएगी, मानो मध्यस्थता अधिनियम, 2023 अधिनियमित ही नहीं हुआ हो।"

सातवीं अनुसूची

(धारा 62 देखें)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"18. सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद को संदर्भ.—(1)

अभी लागू किसी दूसरे कानून में किसी बात के बाबजूद, किसी झगड़े में शामिल कोई भी पार्टी, सेवशन 17 के तहत बकाया किसी भी रकम के बारे में माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल को रेफरेंस दे सकती है।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत संदर्भ प्राप्त होने पर, परिषद या तो स्वयं मध्यस्थता करेगी या मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुसार मामले को किसी मध्यस्थता सेवा प्रदाता को संदर्भित करेगी।

(3) इस धारा के अंतर्गत मध्यस्थता का संचालन मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(4) जहाँ उप-धारा (3) के अंतर्गत आरंभ की गई मध्यस्थता सफल नहीं होती है और पक्षों के बीच किसी समझौते के बिना समाप्त हो जाती है, वहाँ परिषद या तो स्वयं विवाद को मध्यस्थता के लिए लेगी या इसे ऐसे मध्यस्थता के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएँ प्रदान करने वाली किसी संस्था या केंद्र को भेजेगी और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के प्रावधान विवाद पर वैसे ही लागू होंगे मानो मध्यस्थता उस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में हो रही हो।

(5) समय-समय पर लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद या वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएँ प्रदान करने वाले केंद्र को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित आपूर्तिकर्ता और भारत में कहीं भी स्थित खरीदार के बीच विवाद में इस धारा के तहत मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का अधिकार होगा।

आठवीं अनुसूची

(धारा 63 देखें)

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में धारा 442 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"442. मध्यस्थता के लिए संदर्भ-- (1) केन्द्रीय सरकार, न्यायाधिकरण या अपील न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में कोई भी पक्षकार किसी भी समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, न्यायाधिकरण या अपील न्यायाधिकरण को ऐसे प्रूल्प में, ऐसी फीस के साथ, यदि कोई हो, जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी कार्यवाही से संबंधित मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए आवेदन कर सकता है और केन्द्रीय सरकार, न्यायाधिकरण या अपील न्यायाधिकरण, यथास्थिति, मामले को मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के तहत संचालित की जाने वाली मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा।

(2) इस धारा की कोई बात केन्द्रीय सरकार, न्यायाधिकरण या अपील न्यायाधिकरण को, जिसके समक्ष कोई कार्यवाही लंबित है, ऐसी कार्यवाही से संबंधित किसी मामले को स्वप्रेरणा से मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के उपबंधों के अंतर्गत संचालित की जाने वाली मध्यस्थता को संदर्भित करने से नहीं रोकेगी, जैसा केन्द्रीय सरकार, न्यायाधिकरण या अपील न्यायाधिकरण ठीक समझे।

(3) मध्यस्थ या मध्यस्थता सेवा प्रदाता पक्षों के बीच हुए मध्यस्थता से हुए समझौता समझौते को अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या न्यायाधिकरण या अपील न्यायाधिकरण के समक्ष दाखिल करेगा।

(4) केन्द्रीय सरकार या न्यायाधिकरण या अपील न्यायाधिकरण एक आदेश या निर्णय पारित कर उक्त मध्यस्थता समाधान समझौते को उसका भाग बना देगा।

(5) मध्यस्थ की फीस ऐसी होगी, जैसी विहित की जाए।

नौवीं अनुसूची

(धारा 64 देखें)

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का 4) में—

(क) अध्याय 3ए के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"अध्याय IIIA

मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता और समझौता

12ए. मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता और समझौता:- (1) कोई बाद, जिसमें इस अधिनियम के अधीन किसी तत्काल अंतरिम राहत की अपेक्षा नहीं है, तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक वादी केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित तरीके और प्रक्रिया के अनुसार मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता के उपाय को समाप्त नहीं कर लेता।

(2) मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित को अधिकृत कर सकती है-

(i) विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत गठित प्राधिकरण

अधिनियम, 1987 (1987 का 39); या

(ii) धारा (एम) के अंतर्गत परिभाषित मध्यस्थता सेवा प्रदाता
मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की धारा 3।

(3) विधिक सेवा प्राधिकरण में निहित किसी बात के होते हुए भी,
अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के अनुसार, उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकरण या
मध्यस्थता सेवा प्रदाता, वादी द्वारा उपधारा (1) के अधीन आवेदन किए जाने की तिथि से एक सौ बीस दिन की अवधि के
भीतर मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी करेगा :

बशर्ते कि मध्यस्थता की अवधि को आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है
पक्षों की सहमति से साठ दिनों का:

आगे यह भी प्रावधान है कि पक्षकारों द्वारा मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता में विताया गया समय सीमा अधिनियम, 1963
(1963 का 36) के अंतर्गत सीमा के प्रयोजनों के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।

(4) यदि वाणिज्यिक विवाद के पक्षकार किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो उसे लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा
और उस पर पक्षकारों तथा मध्यस्थता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(5) इस धारा के अंतर्गत हुए मध्यस्थता से हुए समझौते पर मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की धारा 27 और 28 के
प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।";

(ख) धारा 21ए की उपधारा (2) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क) धारा 12ए की उपधारा (1) के अधीन मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता का तरीका और प्रक्रिया ;"

दसरीं अनुसूची

(धारा 65 देखें)

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) में,—

(क) धारा 2 में खंड (25) और (26) को हटा दिया जाएगा;

(ख) धारा 37 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

37. मध्यस्थता के लिए संदर्भ.-जिला आयोग या राज्य आयोग

या राष्ट्रीय आयोग, जैसा भी मामला हो, कार्यवाही के किसी भी चरण में पक्षों के आवेदन पर मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान के लिए विवादों को संदर्भित करेगा।

37ए. मध्यस्थता के माध्यम से समझौता.- (1) मध्यस्थता के अनुसरण में, यदि उपभोक्ता विवाद में शामिल सभी मुद्दों के संबंध में या केवल कुछ मुद्दों के संबंध में पक्षों के बीच कोई समझौता हो जाता है, तो ऐसे समझौते की शर्तों को तदनुसार लिखित रूप में तैयार किया जाएगा, और ऐसे विवाद के पक्षों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) मध्यस्थ समझौते की एक समझौता रिपोर्ट तैयार करेगा और हस्ताक्षरित समझौते को ऐसी रिपोर्ट के साथ संबंधित आयोग को भेजेगा।

(3) जहां निर्धारित समय के अंदर पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं होता है या मध्यस्थ की राय है कि समझौता संभव नहीं है, तो वह तदनुसार अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे संबंधित आयोग को प्रस्तुत करेगा।

37वी. समझौते का अभिलेखन और आदेश पारित करना.- (1) जिला आयोग या राज्य आयोग, जैसा भी मामला हो, निपटान रिपोर्ट प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर उपभोक्ता विवाद के ऐसे निपटान को अभिलेखित करते हुए उपयुक्त आदेश पारित करेगा और तदनुसार मामले का निपटारा करेगा।

(2) जहाँ उपभोक्ता विवाद का केवल आंशिक निपटारा होता है, जिला आयोग या राज्य आयोग, जैसा भी मामला हो, उन मुद्दों का निपटारा दर्ज करेगा जो इस प्रकार निपटाए जा चुके हैं और ऐसे उपभोक्ता विवाद में शामिल अन्य मुद्दों की सुनवाई जारी रखेगा।

(3) जहाँ उपभोक्ता विवाद मध्यस्थता द्वारा सुलझाया नहीं जा सका है, वहाँ जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जैसा भी मामला हो, ऐसे उपभोक्ता विवाद से संबंधित सभी मुद्दों पर सुनवाई जारी रखेगा।";

(ग) धारा 38 की उपधारा (1) में, "या मध्यस्थता द्वारा समझौता न हो पाने पर मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट मामलों के संबंध में" शब्दों को हटा दिया जाएगा;

(घ) धारा 41 में, तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा;

(इ) अध्याय 5 लोप किया जाएगा;

(च) धारा 101 की उपधारा (2) में,-

(i) खंड (आर) को हटा दिया जाएगा;

- (ii) खंड (यच) को हटा दिया जाएगा;
- (छ) धारा 102 की उपधारा (2) में खंड (पी) का लोप किया जाएगा;
- (ज) धारा 103 की उपधारा (2) में खंड (ग) से खंड (ज) को हटा दिया जाएगा।
-

डॉ. रीता वशिष्ठ,
भारत सरकार के सचिव।

सुधार

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) में प्रकाशित
भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 1, दिनांक 11 अगस्त, 2023,
अंक संख्या 21,—

- (i) पृष्ठ 56 पर पंक्ति 12 पर "प्रतिस्थापित" के स्थान पर "सम्मिलित" पढ़ें;
- (ii) पृष्ठ 57 पर पंक्ति 46 पर "सेवशन" के स्थान पर "सेवशन्स" पढ़ें।
-

को सही

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 30) में प्रकाशित
भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 1, दिनांक 18 अगस्त, 2023 में,
अंक संख्या 33, पेज 2 पर, लाइन 37 में, "occurring" की जगह "occurring" पढ़ें।

6. The amendments made to the Constitution by the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023 shall not affect any representation in the House of the People, the Legislative Assembly of a State or the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi until the dissolution of the House of the People, the Legislative Assembly of a State or the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, as the case may be, in existence at the commencement of the said Act.

DR. REETA VASISHTA,
Secretary to the Govt. of India.

CORRIGENDA

THE MEDIATION ACT, 2023
No. 32 OF 2023

In the MEDIATION ACT, 2023 (32 OF 2023), as published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1, dated the 15th September, 2023, Issue No. 35,—

- (i) at page 17, line 46, *for "section 26", read "section 25";*
- (ii) at page 18, line 8, *for "sub-section (4)", read "sub-section (3)";*
- (iii) at page 18, line 10, *for "sub-section (5)", read "sub-section (4)";*
- (iv) at page 18, line 12, *for "clause (d)", read "clause (e)";*
- (v) at page 18, line 14, *for "clause (i)", read "clause (j)";*
- (vi) at page 18, line 16, *for "clause (m)", read "clause (n)";*
- (vii) at page 19, line 11, *for "Service", read "Services";*
- (viii) at page 21, line 5, *for "Cine-Workers", read "Cine-workers";*
- (ix) at page 21, line 9, *for "Citizen", read "Citizens";*
- (x) at page 23, line 20, *for "Legal", read "the Legal".*

CORRIGENDUM

THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) ACT, 2023
No. 18 OF 2023

In the JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) ACT, 2023 (18 of 2023), as published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1, dated the 11th August, 2023, Issue No. 21, at page 48, lines 41 and 42, *for 'a fine', read 'or a fine'.*



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102023-249412
xxxGIDHxxx
सीजी-डीएल-अ-13102023-249412
xxxGIDExxx

असाधारण
असाधारण

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
भाग II—धारा 3—उपधारा (ii)
प्राजनकार से प्रकाशित
प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

सं. 4335]

नई ददल्ली, उकियार, अक्टूबर 13, 2023/आर्जन 21, 1945

संख्या 4335]

नई दिल्ली, शुक्रवार, 13 अक्टूबर, 2023/21 अश्विन, 1945

जिजिध और न्याय मंत्रालय

(जिजिध कायय जिभाग)

आदि

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर,

का.आ. 4506(अ).—मध्यकता अजधजनयम, 2023 (2023 का 32) (जिसेइसमेंइसकेपश्चात्तुक्त अजधजनयम कहा गया है) को 14 जसतंबर, 2023 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है;

और, उक्त अजधजनयम की धारा 32 भारतीय मध्यकता पररषदकी संरचना हेतुउपबंध करती है;

और, उक्त अजधजनयम की धारा 3 का खंड (ण) “सदस्त्य” पद को पररभाजषत करता है, जिससेपररषदका कोई पूण्यकाजलक या अल्पकाजलक सदस्त्य अजभग्रेत हैतथा उसमेंअध्यक्ष भी सजममजलत है;

और, उक्त अजधजनयम की धारा 32 की उपधारा (3) सदस्त्यों कितन, भत्तेओर अन्य जनबंधन और इन्हों केसंबंध मेंजनयम जिजहत करनेका उपबंध करनेकेजलए है;

और, उक्त अजधजनयम की धारा 32 की उपधारा (4) और धारा 51 की उपधारा (2) का खंड (ख) सदस्त्यों को संदेय यात्रा भत्तेओर अन्य भत्तों केसंबंध मेंजनयम जिजहत करनेका उपबंध करनेकेजलए है;

और, उक्त अजधजनयम की धारा 32 की उपधारा (4) के अधीन बनाए गए रहेजनयम के लिए अल्पकाजलक सदस्यों को लागू होंगे और पूण्यकाजलक सदस्यों के संबंध में भत्तेउक्त अजधजनयम की धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए रहेजनयमों के अंतर्गत होंगे;

और, उक्त अजधजनयम की धारा 32 की उपधारा (4) के अधीन भारतीय मध्यकर्ता पररप्रदक्षेत्रकाजलक सदस्यों को संदेय यात्रा भर्ते और अन्य भर्तों हेतुजनयमों को अजधसूचित करनेमें तब तक भ्रम और करिनाई काररत कर सकते हैं, जिब तक “सदस्य” विद्व केस्थान पर “अल्पकाजलक सदस्य” विद्व न रख ददए जाएं;

और, उक्त अजधजनयम की दर्सीं अनुसूची उपभोक्ता संरक्षण अजधजनयम, 2019 (2019 का 35) केसंगिधनों का उपबंध करनेके जलए है;

और, उपभोक्ता संरक्षण अजधजनयम, 2019 (2019 का 35) की धारा 37 यह उपबंध करनेके जलए हैदक, यथाजस्तथात, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, पक्षकारों द्वारा जौदन पर, मध्यकता अजधजनयम, 2023 (2023 का 32) के अधीन मध्यकता द्वारा समझौतेहेतुजिािद को जनर्दयष करेगा;

और, मध्यकता अजधजनयम, 2023 (2023 का 32) की धारा 7, न्यायालय या अजधकरण की पक्षकारों को मध्यकता केजलए जनर्दयष करनेकी विज्ञ का उपबंध करनेकेजलए है और उपभोक्ता संरक्षण अजधजनयम, 2019 (2019 का 35) की धारा 37, विमध्यकता अजधजनयम, 2023 (2023 का 32) की दर्सी अनुसूची केमाध्यम सेसंविज्ञध है, उक्त अजधजनयम की धारा 7 केसुधिन मेनहीं हैंतथा “पक्षकारों द्वारा जिवैदन करनेपर, मध्यकता अजधजनयम, 2023 के अधीन मध्यकता द्वारा समझौतेहेतुजिादों को जनर्दयष करेगा” विवेदों केस्थान पर, उक्त उपबंध केकायायन्दियन मेंकरिनाई को दूर करनेकेजलए “मध्यकता अजधजनयम, 2023 केअधीन मध्यकता द्वारा समझौतेहेतुजिादों को जनर्दयष कर सकेगा” विव रखिनेओंयक हैं

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मध्यकता अजधिजनयम, 2023 की धारा 54 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त विज्ञयों का नीचे दिए गए पानी का इस्तेमाल करके, बताई गई करनीया को हटाने का आदेश देता है, यानी:-

1. संज्ञकृत नाम और प्रारंभ—(1) इस आदि का संज्ञकृत नाम मध्यकर्ता (करिनाइयों को दूर करना) आदि, 2023 है।

(2) ५० वर्ष के पास, 2023 का अनुसार तथा

2. मध्यकता अजधजनयम, 2023 में,--

(क) धारा 32 में, उपधारा (4) में, “सदस्य” विक्र केस्थान पर, “अल्पकाजलक सदस्य” विक्र रखीएंगे;

(ख) धारा 51 में, उपधारा (2) में, खंड (ख) में, “सदस्य” विक्र के स्थान पर, “अल्पकाजलक सदस्य” विक्र रखे

(ग) अनुसूची 10 में, उपभोक्ता संरक्षण अजधजनयम, 2019 केसाँौधनों सेसंबंजधत धारा 37 में, “पक्षकारों द्वारा ज्ञान करनेपर, मध्यकता अजधजनयम, 2023 केअधीन मध्यकता द्वारा समझौतेहेतुजिादों को जनर्दयष्ट करेगा” इब्दों केस्तथान पर, “मध्यकता अजधजनयम, 2023 केअधीन मध्यकता द्वारा समझौतेहेतुजिादों को जनर्दयष्ट करेगा।

[फा. सं. ए- 60011/45/2023-एडीआर]

डा. श्रीमती मजण, अपर सजचि

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(कानूनी मामलों का विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2023

एसओ 4506(अ).-- जबकि, मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (2023 का 32) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा जाएगा) को 14 सितम्बर, 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गयी;

और, उक्त अधिनियम की धारा 32 भारतीय मध्यस्थता परिषद की संरचना के लिए प्रावधान करती है;

और, जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 3 का खंड (ओ) "सदस्य" शब्द को परिभाषित करता है जिसका अर्थ पूर्णकालिक या परिषद का अंशकालिक सदस्य और इसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (3) सदस्यों के बेतन, भर्ते और अन्य नियमों व शर्तों के संबंध में नियम निर्धारित करने का प्रावधान करती है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (4) और धारा 51 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा, सदस्य को देय यात्रा एवं अन्य भर्तों के संबंध में नियम निर्धारित करने का प्रावधान करता है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बनाए जाने वाले नियम केवल अंशकालिक सदस्यों पर लागू होंगे और पूर्णकालिक सदस्यों के संबंध में भर्ते उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बनाए जाने वाले नियमों के अन्तर्गत आएंगे;

और, चूंकि, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (4) के अधीन भारतीय मध्यस्थता परिषद के अंशकालिक सदस्य को देय यात्रा तथा अन्य भर्तों के नियमों को अधिसूचित करने में भ्रम और कठिनाई हो सकती है जब तक कि "सदस्य" शब्द के स्थान पर "अंशकालिक सदस्य" शब्द नहीं रखे जाते हैं;

और, जबकि, उक्त अधिनियम की दसवीं अनुसूची उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) में संशोधन का प्रावधान करती है;

और, जबकि, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 37 में प्रावधान है कि जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जैसा भी मामला हो, पक्षों के आवेदन पर मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (2023 का 32) के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान के लिए विवाद को संदर्भित कर सकता है;

और, जबकि, मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (2023 का 32) की धारा 7 में न्यायालय या न्यायाधिकरण को पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति प्रदान की गई है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 37, जैसा कि मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (2023 का 32) की दसवीं अनुसूची के माध्यम से संशोधित किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुरूप नहीं है और उक्त प्रावधान को लागू करने में कठिनाई को दूर करने के लिए "पक्षों द्वारा आवेदन पर या तो करेगा" शब्दों को "कर सकता है" शब्द से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है।

अतः अब मध्यस्थता अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2023 के आदेश के अनुसार, केन्द्र सरकार उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.— (1) इस आदेश को मध्यस्थता (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2023 कहा जा सकेगा।

(2) यह 13 अक्टूबर, 2023 से लागू होगा।

2. मध्यस्थता अधिनियम, 2023 में—

(क) धारा 32 की उपधारा (4) में, "सदस्य" शब्द के स्थान पर "अंशकालिक सदस्य" शब्द रखे जाएंगे।

प्रतिस्थापित;

(ख) धारा 51 की उपधारा (2) के खंड (ख) में, "सदस्य" शब्द के स्थान पर "अंशकालिक सदस्य" शब्द रखे जाएंगे।

प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में संशोधन से संबंधित दसवीं अनुसूची की धारा 37 में,

पक्षकारों के आवेदन पर या तो करेगा" शब्दों के स्थान पर "हो सकता है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. ए-60011/45/2023-एडीआर]

DR. RAJIV MANI, Addl. Secy.